उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–2

अधिसूचना

21 मई, 2025 ई0

संख्या–1192/XVIII(II)/2025/(E.No.76458)–शासन के विनिमय स्वीकृति आदेश दिनांकः 13 जुलाई, 2023 के क्रम में न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या–79/2023–24, अन्तर्गत धारा–161 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांकः 07.02.2025 के द्वारा प्रथम पक्ष राज्य सरकार जरिये कलेक्टर, रूद्रप्रयाग की ग्राम भटवाड़ी की ज0वि0र0 (नॉन जेड0ए0) खतौनी की श्रेणी–9(3)(ग) के खाता संख्या–09 के खसरा संख्या–881 रकबा 1.693 हे0 मध्ये 0.023 हे0 भूमि का द्वितीय पक्ष के पक्षकारों की ग्राम किमाणा में स्थित श्रेणी 1–क की भूमि खाता संख्या 25 के खसरा संख्या–118 रकबा 0.035 हे0 मध्ये 0.008 हे0, खसरा संख्या–120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.006 हे0 एवं खसरा संख्या 120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.009 हे0 कुल रकबा 0.023 हे0 भूमि से विनिमय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम भटवाड़ी की ज0वि0र0 (नॉन जेड0ए0) खतौनी की श्रेणी–9(3)(ग) स्थायी पशुचर भूमि के खाता संख्या–09 के खसरा संख्या–881 रकबा 1.693 हे0 मध्ये 0.023 हे0 भूमि पर उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश–2001' का प्रसार किये जाने तथा ग्राम किमाणा की ख0खा0सं0–25, खसरा संख्या–118 रकबा 0.035 हे0 मध्ये 0.008 हे0, खसरा संख्या–120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.006 हे0 एवं खसरा संख्या 120 रकबा 0.019 हे0 मध्ये 0.009 हे0 कुल रकबा 0.023 हे0 भूमि पर न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), ऊखीमठ के न्यायालय के वाद संख्या–79/2023–24, अन्तर्गत धारा–161 भू0रा0अधि0 में निर्गत विनिमय आदेश के पश्चात् 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण) आदेश–2001' के क्षेत्राधिकार से बाहर किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 31–05–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 राजस्व/285–23–06–2025–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।